न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण सख्याः– 415/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 88/53 आरटीए
सुनीता देवी पत्नी श्री मदनगोपाल जाति जाट नि.लीलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
– वादीया

बनाम्

1. नवाब अली पुत्र मुनसब अली जाति मुसलमान नि.किकरवाली तह.संगरिया
2. साजिद हुसैन पुत्र मुनसब अली जाति मुसलमान नि. किकरवाली तह.संगरिया
3. गुलामनबी पुत्र मुनसब अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
4. जैना बीबी पत्नी मुनसब अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
5. अमीरा बीबी पुत्री सादक अली फौत
5/1 आरफा पुत्री अमीरा बीबी पुत्री सादक अली
5/2 सरफा पुत्री अमीरा बीबी पुत्री सादक अली
5/3 अरसा पुत्री अमीरा बीबी पुत्री सादक अली
5/4 राज बीबी पुत्री अमीरा बीबी पुत्री सादक अली
5/5 मुसाफर अली पुत्र अमीराबीबी पुत्री सादक अली
5/6 रियासत अली पुत्र अमीरा बीबी पुत्री सादक अली
6. इमामसैन गुलाम पुत्री सादक अली फौत
6/1 मोहम्मद पुत्र इमासेन गुलाम पुत्री सादक अली
6/2 शमा पुत्र इमामसेन गुलाम पुत्री सादक अली
(5/1 से 6/2) जाति मुसलमान नि.किकरवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. इमाम बीबी पुत्री सादक अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
8. जोरा पुत्री सादक अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
9. नजीरा बीबी पुत्री सादक अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
10. मरिया पुत्री सादक अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
11. माफिया बीबी पुत्री सादक अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
12. रोशनदीप पुत्र सादक अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
13. सुगरा बीबी पत्नी सादक अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
14. कुतबदीन पुत्र स्व. कासम अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
15. हुकमदीन पुत्र स्व. कासम अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
16. सायरा पुत्री स्व. कासम अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
17. शरीफ पुत्र स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
18. मजूर पुत्र स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
19. अलीमोहम्मद पुत्र स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया
20. मुनीर पुत्र स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
21. नूर अहमद पुत्र स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया
22. सरदारा पुत्री स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
23. निसारा पुत्री स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
24. सरीफा पुत्री स्व. मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
25. हेदर अली पुत्र स्व. हाकम अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
26. साबर अली पुत्र स्व. हाकम अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
27. श्योकत अली पुत्र स्व. हाकम अली जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया
28. आशिक मोहम्मद पुत्र स्व. हाकम अली जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया
29. ऐसा बीबी पुत्री स्व. हाकम अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
30. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री महावीर बेरड़ –वकील वादीया
2– श्री कुलदीप मूण्ढ़–वकील प्रति.स. 1 ता 29

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

निर्णय

दिनांक :– 12-1-2026

अधिवक्ता वादीया द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीया ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से जरिये पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से दिनांक 07.12.2020 को तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के विवादित खाता सं. 12/12 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.430 है. कृषि भूमि खरीद की थी। पंजीकृत बैयनामा की चित्रप्रति एवं जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलग्न वाद पत्र है। वादीया ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से जरिये पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से दिनांक 07.12.2020 को तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के विवादित खाता सं. 12/12 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.430 है. कृषि भूमि खरीद की थी। वादीया द्वारा उक्त कृषि भूमि पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से खरीद करने के पष्चात हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल, इन्तकाल सं. 746 के माध्यम से कर दिया गया है। इन्तकाल की नकल सलंग्न वाद पत्र है। लेकिन तहसील ऑनलाइन होने के पष्चात तैयार हुई जमाबन्दी में वादीया का नाम विलोपित हो गया है तथा उक्त खाता की कृषि भूमि विवादित हिस्सा में दर्ज हो गई। वादीया खरीद के रोज से ही 0.430 है. कृषि भूमि की मालिक है जिसका वादीया ने अन्य सहकाष्तकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादीया काष्त करती चली आ रही है। वादीया का कब्जाकाष्त बाबत् अन्य किसी भी सहकाश्त–कारान के साथ कोई विवाद नही है। वादीया को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :–

(क) वादीया शर्मिला देवी पत्नी श्री मदनगोपाल जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के हक व हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि का विवरण :–

चक 5 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 16/12 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---|---|---|
| 145/201 | 40 | 18/0.253 है., 23/0.177 है. कुल 0.430 है. |

कृषि भूमि वादीया ने जरिये पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से प्रतिवादी सं. 1 व 2 से वाद की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि खरीद की है। जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में हुए बंटवारा में वर्णित किया गया है, जिसके अनुसार वादीया खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवा खाता अलग से कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादीया द्वारा प्रतिवादीगण से वादीया को वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खातेदार काष्तकार मान लेने तथा उक्त अनुसार घोषणा जारी करवाकर खाता विभाजित करवाकर रकमराज अलग से क़ायम करवा देने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1से13 के नाम से कृषि भूमि दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 14 ता 29 को मृतक कासम अली, मोहम्मद उर्फ सदीक एवं हाकम अली के वारिसान होने के कारण प्रतिवादी सं. 30 को भु–धारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार के रूप में

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रस्तावित किया गया है। वाद वादीया घोषणा व खाता विभाजन का है जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अतः वाद वादीया प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादीया को वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीया का खाता अलग से कायम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 जरिये अधिवक्ता वाद को स्वीकार करते हुए सहमति का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया जिसका वकील वादीया ने भी कोई विरोध नही किया। जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 30 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादीया शर्मिला ने शपथ पत्र अ.आ.18 नि.4 सीपीसी पेश किया। वादी और प्रतिवादी और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी/प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा फार्म नम्बर 3 के साथ निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये:–

1. चक 5 एमएमके खाता संख्या 16/12 ज.स. 2070–2073 की जमाबन्दी
2. बैयनामा रजि.क्रमांक 6089 दिनांक 07.12.2020 नवाबअली, साज़िद हुसैन पि.मनसबअली वहक शर्मिला देवी पत्नी मदन गोपाल की फोटोप्रति
3. चक 5 एमएमके नामान्तरण संख्या 746 दिनांक 05.07.2021 की फोटोप्रति

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। वकील वादीया ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 सह–काश्तकार है। वादीया घरू बंटवारा में अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा कर वाद पत्र की चरण संख्या 3 अनुसार कृषि भूमि प्राप्त कर रही है। वाद पत्र का कोई विरोध नही है। अतः वादीया का वाद के मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खाता/रकमराज अलग कायम करने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 ने वाद पत्र डिकी किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 5 एमएमके खाता संख्या 16/12 खाता अमीराबीबी वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 ने वादीया के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए अपना जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। वाद पत्र में कोई विरोध नही होने के कारण वादीया का खाता वाद पत्र की दफा 3 घरू बंटवारा के मुताबिक एंव प्रतिवादीगण का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

महायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

## क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 5 एमएमके खाता संख्या 16/12 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में दर्ज आराजी का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार इनका खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:– चक 5 एम.एम.के. विवादित खाता सं. 16/12 जमाबन्दी सम्वत 2070–73

1. वादीया शर्मिला देवी पत्नी श्री मदनगोपाल जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के हक व हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि का विवरण :–

| प.नं. | मु.नं | कि.नं. |
|---|---|---|
| 145/201 | 40 | 18/0.253 है., 23/0.177 है. कुल 0.430 है. कृषि भूमि |

2. प्रति.सं. 1 नवाब अली पुत्र मुनसब अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

| प.नं. | मु.नं | कि.नं. |
|---|---|---|
| 145/201 | 40 | 20/0.024 है. |
| 144/201 | 39 | 16/0.126 है. कुल 0.150 है. कृषि भूमि |

3. प्रति.सं. 2 साजिद हुसैन पुत्र मुनसब अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

| प.नं. | मु.नं | कि.नं. |
|---|---|---|
| 145/201 | 40 | 11/0.140 है. 20/0.084 है. कुल 0.224 |

4. प्रति.सं. 3 गुलाब नवी पुत्र मनसुब अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

| प.नं. | मु.नं | कि.नं. |
|---|---|---|
| 145/201 | 40 | 12/0.072 है. 19/0.253 है. 22/0.076 है. कुल 0.401 |

5. प्रति.सं. 4 जैना बीबी पत्नी मुनसब अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :–

| प.नं. | मु.नं | कि.नं. |
|---|---|---|
| 145/201 | 40 | 11/0.113 है. 20/0.107 है. 12/0.181 कुल 0.401 |

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 12.1.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया